

प्रतिका

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

संयंत्रिका

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार नई दिल्ली।

पत्रांक-एस0टी0/एन0ओ0सी0/

/2016-2017 दिनांक 13-07-16

विषय-एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, एन0एच0-2, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

नई दिल्ली

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या-2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या-1318(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 संपादित शिक्षा निदेशक(मा0) के पत्रांक-सा0(1)/शिविर/एन0ओ0सी0/7153/2009-2010 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के आलेख में एतदर्थ मण्डलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11.07.2016 में लिए गए निर्णय के क्रम में एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, एन0एच0-2, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार का निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/प्रायः जाति के मध्यायी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैंगलूर शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायें।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी-और उन्हें सहायता-प्राप्त-अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- 10- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(पी0टी0ओ0-2)


PRINCIPAL
EDIFY WORLD SCHOOL
FIROZABAD


MANAGER
EDIFY WORLD SCHOOL
FIROZABAD

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था को लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा० (प्रदीप कुमार)
सदस्य सचिव एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा।

पू०स०-एस०टी०/एन०ओ०सी०/ 2560-67 /2016-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मण्डलायुक्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-सचिव, (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (१) अनुभाग, लखनऊ।
- 3-शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद।
- 6-निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7-प्रबन्धक, एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, एन०एच०-2, फिरोजाबाद।
- 8-गार्ड फाइल।

डा० (प्रदीप कुमार)
सदस्य सचिव एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा।

A. Dan
PRINCIPAL
EDIFY WORLD SCHOOL
FIROZABAD

[Signature]
MANAGER
EDIFY WORLD SCHOOL
FIROZABAD